न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल रेगर आर.ए.एस.

केम्प– बागुण्ड

दिनांक : 19–06–2017

प्रकरण संख्या – 07/2017

उनवान

1. शंकरलाल पिता मांगू कुम्हार व्यस्क निवासी सूरखण्ड तहसील भदेसर
2. डाडम पिता रतनलाल भांभी व्यस्क निवासी सूरखण्ड तहसील भदेसर
3. कालूराम पिता रतनलाल भांबी व्यस्क निवासी सूरखण्ड तहसील भदेसर

....................वादीगण

।। बनाम ।।

1. श्री सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ
2. श्री सरकार जरिये जिला कलेक्टर चित्तौडगढ

..........प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 195 घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित– श्री मोहम्मद रईस वकील वादी

नायब तहसीलदार भादसोडा पैरोकार सरकार

हस्तगत वाद के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188 एवं इन्द्राज दुरूस्ती के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि –

1. यह कि वादी ने खातेदार की मौजा सूरखण्ड पटवार हल्का कूंथना साबिक खाता संख्या 91 में दर्ज आराजी नम्बर 55/1 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा एवं आ0नं0 56/1 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा कुल भूमि साबिक सेटलमेन्ट में वादीगण के पिता व माता के नाम पर दर्ज रेकार्ड चली आ रही थी एवं उक्त आराजीयात के हक हिस्से अनुसार वादीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहें थे दौराने सेटलमेन्ट उक्त खातेदारी आराजीयात के नवीन आराजी नमबर 564 रकबा 0.46 हैक्टैयर आ0न0 565 रकबा 0.02 हैक्टेयर गै.मु. आ.चा. नम्बर 566 रकबा 0.68 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 1.16 हैक्टेयर बने है ।
2. यह कि उकत वादग्रस्त आराजीयात का सेटलमेन्ट वर्ष 2010–11 में भू प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा किया तब सेटलमेन्ट अधिकारियों व कम्रचारियों ने वादीगण की आराजीयात के रकबे में साबिक के मुकाबले 0.27 हैक्टेयर की कमी करते हुए 1.16 हैक्टेयर रकबा ही खाते में दर्ज किया है जबकि वादीगण [illegible] भी साबिक रकबे अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहें है इस [illegible] कर्मचारियों द्वारा बिलानाम आ0न0 563 रकबा 0.38 हैक्टेयर भूमि जो [illegible] के रकबे में लगी हुई है एवं उक्त आराजीयात में वादीगण के [illegible] रकबे को मिला दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:30:08 IST
Reason: SelfAttested

19.6.17

Scanned with CamScanner

जिससे वादीगण अपनी उक्त आराजीयात 0.30 हैक्टेयर भूमि को पुनः अपने खातेदारी की घोषित कराने के अधिकारी होने से वादपत्र घोषणात्मक डिक्री पेश किया है जो स्वीकार फरमाया जावे ।

3. यह कि दौराने सेटलमेन्ट विवादित आराजियात वादी के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी मौके पर वादी काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है फिर भी भू.प्रबंध अधिकारीयो ने मौके पर रकबे की कमी करते हुए बिलानाम काबिल काश्त दर्ज कर दी है। जिसकी आड़ में प्रतिवादीगण वादी को विवादित आराजियात से बेदखल करना चाहते है व विवादित आराजीयात को अन्य को आवंटन करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाना आवश्यक है कि वादग्रस्त आराजीयात पर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे ना करावे ना ही किसी अन्य को उक्त भूमी आवंटित करे इस हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किये जाने हेतु यह वाद पत्र पैश है।

4. यह कि प्रतिवादीगण राज्य सरकार के प्रतिनिधिगण है जिनके विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने पुर्व धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु प्रतिवादीगण ने वादी के खातेदारी की आराजीयात को बिलानाम कर बेदखल करने पर आमादा हो रहे हे एवंकिसी को आंटित नही कर दे ऐसी स्थिति में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का हो जाने से वाद पत्र बिना नोटिस सर्व किये ही पेश किया जा रहा है जिसके लिये धारा 80(2) जा.दी. का आवेदन मय सपथ पत्र के पैश है।

5. यह कि बिनाय मुखास्मात वाद कारण दिनांक 15.07.2016 को विवादित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड प्राप्त करने एवं प्रतिवादीगण द्वारा नाजायज कब्जे की रिपोर्ट करने से पैदा होकर निरन्तर जारी है जिससे वाद पत्र वादी अन्दर मियाद पेश किया है जो स्वीकार फरमाया जावे ।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । विपक्षीगण की ओर पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार भादसोडा द्वारा मौका एवं राजस्व रेकार्ड के आधार पर जवाब प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि –

वाद पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 10 के जवाब की आवश्यक नहीं है । वादीगण के नाम पर साबिक रेकार्ड में आराजी नम्बर 555/1 रकबा 3–10 बीघा आराजी नम्बर 556/1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6–15 बीघा है जिसके नवीन रेकार्ड में नये आ0न0 564 रकबा 0.46 है0 आ0न0 565 रकबा 0.02 है0 आ0न0 566 रकबा 0.68 है0 कुल कित4I–3 रकबा 1–16 हैक्टैयर भूमि दर्ज की पुराने 6–15 बीघा के मुकाबले 1–46 हैक्टैयर दर्ज होना चाहिये । वादी के 0.30 हैक्टैयर भूमि कम दर्ज हुयी है । रिपोर्ट पटवारनी व भू0अ0नि0 के आधार पर वादी का संस्पर्शी आराजी नम्बर 563 रकवा 0.38 हैक्टेयर बिलानाम भूमि [illegible] से 0.30 [illegible] संलग्न नक्शे अनुसार कब्जा पाया गया है उक्त आराजी नम्बर 563 पुराने [illegible] 555/1 से बना है अतः आराजी नम्बर 563 में से 0.30 हैक्टेयर वादी [illegible] उचित है ।

लायक अधिवक्ता वादी [illegible] बहस सुनी गई जिन्होनें वादवर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी डिक्री किये जाने की इस्तदुआ [illegible] ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:30:08 IST
Reason: SelfAttested

15.6.17

Scanned with CamScanner

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार भदेसर की रिपोर्ट एवं प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड अनुसार भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार किये गये मिलान क्षेत्रफल अनुसार वर्तमान आ0न0 564, 565, 566 भू–प्रबन्ध के खसरा नम्बर 555/1, 556/1 से बनना पाया गया है जिस पर वादीगण ही कब्जा है । वास्तविक रूप मे वादी के खातेदारी में 555/1, 556/1 किता 2 कुल रकबा 06 बीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड थी वक्त सेटलमेन्ट वादीगण की खातेदारी में दर्ज आराजी का रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा जिसका दशमल प्रमाणी से 1.46 हैक्टैयर बनता के मुकाबले 1–16 हैक्टैयर ही दर्ज हुआ इस प्रकार 0.30 हैक्टेयर भूमि वादीगण के खातेदारी में कम कर दी गई । पैरोकार सरकार की अभिशंषा एवं जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि वादीगण अपने खातेदारी की सरंपर्शी 563 रकबा 0.38 हैक्टेयर में से 0.30 हैक्टैयर पर काबिज है । सैटलमेन्ट के दौरान भू प्रबन्ध अधिकारीयों की त्रृटि से वादीगण के राजस्व रेकार्ड से विलोपित कम रकबे को वादीगण पुनः अपनी खातेदारी में दर्ज कराये जाने के अधिकारी पाये गये है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण डिकी किया जाता है कि सेटलमेन्ट से वादीगण के खातेदारी में दर्ज मौजा सूरखण्ड की आराजीयात् का कुल रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा अर्थात 1.46 हैक्टैयर के मुकाबले दर्ज 1.16 हैक्टैयर दर्ज होने से कम रकबा 0.30 हैक्टैयर का समायोजन वादीगण के कब्जे की मौजा सूरखण्ड की आराजी न0 563 रकबा 0.38 हैक्टेंयर में 0.30 हैक्टैयर भूमि मूल खातेदारान् की मृत्यु हो जाने से उनके वारिसान वादी कमांक 1 के 1/2 हिस्सा व वादी कमांक 2 व 3 के संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा अनुसार खातेदारी की घोषित की जाती है तथा राजस्व रेकार्ड में वादीगण के खातेदारी हक से दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । धारा 188 की दाद साबित नहीं होने से खारीज की जाती है । इसी आशय का पर्चा डिकी अलग से मुर्तिब किया जावे ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:30:08 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय खुले न्यायालय [illegible] सुनाया गया ।

19.6.17

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Scanned with CamScanner